Update with respect to the matter pending with the Hon'bleSupreme Court of India

During the CIRP, the Liquidator then acting as Resolution Professional, had found that almost all the Assets of the Corporate Debtor and it's subsidiaries, had been attached by SEBI and Income Tax Department. Therefore, he filed an application under section 60(5) of the Code before the Hon'ble NCLT for the de-attachment of the assets and for handing over of the title deeds of all the assets to him.

The said application was allowed by the Hon'ble Tribunal and an order was passed on 30.04.2019 wherein SEBI and the Income Tax department was directed to de-attach the assets of the Corporate Debtor and handover the possession to the Liquidator alongwith all the records so as to enable to RP to the conduct the CIRP as per the Code. The essence of this order was reiterated by the Hon'ble NCLAT vide Order Dated 09.05.2019, which was hearing a separate application filed by the ex-director against the order to initiate CIRP by the Hon'ble NCLT. Upon which the Income Tax department de-attached all the properties attached by it. One property de-attached by the Income Tax department, which was not attached by SEBI, was a Residential Property owned by the Corporate Debtor at Plot No- 6 at Road No- 73, Class- B, Punjabi Bagh Colony, Punjabi Bagh West, New Delhi. The RP took custody and control of this property after the de-attachment by the Income Tax department.

However, SEBI challenged the impugned order dated 30.04.2019 passed by the NCLT, ordering the de-attachment of the assets of the Corporate Debtor, vide SLP(Civil) No. 13678 of 2019, in the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme Court took up the matter and on 17.06.2019 granted interim stay on the aforesaid order of de-attachment as well as directed SEBI not to alienate the properties of the Corporate Debtor, while directing the RP to continue with the CIRP Process. The said case has been listed multiple times for final hearing since 12.07.2019; however, no effective hearing has taken place since then and the matter is now listed for **12.09.2023.**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) के पास लंबित मामले के संबंध म अद्यतन कर

CIRP के दौरान, लिक्विडेटर ने तब रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के रूप म काय करते हुए पाया था कि कॉर्पोरेट देनदार और उसका सहायक कंपनियों का लगभग सभी संपत्तियां सेबी और आयकर विभाग द्वारा संलग्न का गई थीं। इसलिए, उन्होंने माननीय एनसीएलटी के समक्ष संहिता का धारा 60(5) के तहत संपत्ति का कुर्की और सभी संपत्तियों के शीषक विलेखों को सौंपने के लिए एक आवेदन दायर किया।

उक्त आवेदन को माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमति दी गई थी और 30.04.2019 को एक आदेश पारित किया गया था जिसम सेबी और आयकर विभाग को कॉर्पोरेट देनदार का संपत्ति को असंलग्न करने और सभी रिकॉड के साथ परिसमापक को कब्जा सौंपने का निदश दिया गया था। ताकि आरपी(RP) को कोड के अनुसार सीआईआरपी का संचालन करने म सक्षम बनाया जा सके। इस आदेश का सार माननीय एनसीएलएटी द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2019 द्वारा दोहराया गया था, जो माननीय एनसीएलटी द्वारा सीआईआरपी शुरू करने के आदेश के खिलाफ पूव निदेशक द्वारा दायर एक अलग आवेदन पर सुनवाई कर रहा था। जिस पर आयकर विभाग ने उसके द्वारा संलग्न का गई सभी संपत्तियों को असंलग्न कर दिया। आयकर विभाग द्वारा संलग्न का गई एक संपत्ति, जिसे सेबी द्वारा संलग्न नहीं किया गया था, एक आवासीय संपत्ति थी, जो रोड नंबर- 73, क्लास-बी, पंजाबी बाग कॉलोनी, पंजाबी बाग पश्चिम म प्लॉट नंबर-6 पर कॉर्पोरेट देनदार के स्वामित्व म थी। नई दिल्ली आयकर विभाग द्वारा असंलग्न के बाद आरपी ने इस संपत्ति को अपने कब्जे म ले लिया।

हालांकि, सेबी ने एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय म एसएलपी (सिविल) संख्या 13678 ऑफ 2019 के तहत कॉर्पोरेट देनदार का संपत्ति का असंलग्न के आदेश को चुनौती दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को उठाया और 17.06.2019 को असंलग्न के उपरोक्त आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और साथ ही सेबी को कॉर्पोरेट देनदार का संपत्तियों को कुक नहीं करने का निदश दिया, जबकि आरपी को सीआईआरपी के साथ जारी रखने का निदश दिया। प्रक्रिया, उक्त मामले को 12.07.2019 से अंतिम सुनवाई के लिए कई बार सूचीबद्ध किया गया है; हालाँकि, तब से कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है और मामला अब 12.09.2023 के लिए सूचीबद्ध है।